रजिस्ट्री सं. डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 240] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30, 1975/भाद्र 8, 1897

No. 240] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30, 1975/BHADRA 8, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 30th August 1975

G.S.R. 473(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (i) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 275/67-Central Excises, dated the 21st December, 1967, the Central Government hereby exempts raw naphtha [falling under Item No. 6 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)] from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of Rs. 25.00 per kilolitre at 15°C.

Provided that—

(i) it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that such raw naphtha is intended for use in the premises declared under sub-rule (2) of rule 140 of the Central Excise Rules, 1944, to be a refinery, and in the manufacture of any of the products mentioned in the Schedule hereto annexed; and

(ii) where such use is elsewhere than in the factory of production of such raw naphtha, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

2. For the purpose of determining the quantity of raw naphtha entitled to exemption under this notification, if out of the quantity of raw naphtha received by any refinery

declared as such under sub-rule (2) of rule 140 of the Central Excise Rules, 1944, any quantity is returned after such use to the refinery from which the raw naphtha was received for further processing and/or blending for production of finished excisable goods falling under Item 6 to 11A, such quantity shall be excluded.

SCHEDULE

(1) Ethylene.
(2) Propylene.
(3) Butadiene.
(4) Iso-Butalene.
(5) Normal-Butalene.
(6) Benzene.
(7) Toluene.
(8) Para-Xylene.
(9) Ortho-Xylene.
(10) Mixed-Xylene.
(11) Methanol.
(12) Acetylene.
(13) Ethyl Benzene.
(14) Styrene.
(15) Cyclo-Pentadiene.
(16) Vinyl Chloride.

[No. 190/75]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1975

सा०का०नि० 473(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 275/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 दिसम्बर, 1967 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार कच्चे नैप्था को [जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची के मद सं० 6 के अन्तर्गत आता है] उतने उत्पाद-शुल्क से, जितना 15 सेन्टीग्रेड पर 25 रु० प्रति किलो लीटर से अधिक हो, छूट देता है;

परन्तु यह तब जबकि—

(i) सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर के समाधान-प्रद रूप में यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसा कच्चा नैप्था, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 140 के उप-नियम (2) के अधीन परिष्करणी (रिफाइनरी) के रूप में घोषित परिसर में, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित उत्पादों में से किसी उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित है; और

(ii) जहां ऐसा उपयोग ऐसे कच्चे नैप्था के उत्पादन के कारखाने में अन्यत्र किया जाता है, वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है ।

2. यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 140 के उप-नियम (2) के अधीन परिष्करणी (रिफाइनरी) के रूप में घोषित किसी परिष्करणी द्वारा प्राप्त कच्चे नेफ्था की मात्रा में से, कोई मात्रा ऐसे उपयोग के पश्चात् उस परिष्करणी को वापस कर दी जाती है जिससे कच्चा नेफ्था मद 6 से 11 क तक के अन्तर्गत आने वाले तैयार उत्पाद-शुल्कय माल के उत्पादन के लिए और आगे प्रसंस्करण के लिये और/या सम्मिश्रण के लिए प्राप्त की गई थी, तो, इस अधिसूचना के अधीन छूट योग्य कच्चे नेफ्था की मात्रा नियत करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी मात्रा को अपवर्जित कर दिया जाएगा।

अनुसूची

1. एथीलीन
2. प्रोपीलीन
3. ब्युटेडीन
4. आइसो-ब्युटेलीन
5. नार्मल-ब्युटेलीन
6. बेंजीन
7. टाल्यूईन
8. पराक्सीलीन
9. आर्थोक्सीलीन
10. मिश्रित-एक्सीलीन
11. मेथानोल
12. एसिटीलीन
13. एथिल बेंजीन
14. स्टीरीन
15. साइक्लो-पेण्टाडीन
16. विनिल क्लोराइड

[सं० 190/75]

G.S.R. 474(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 14A/66-Central Excises, dated the 26th February, 1966.

[No. 191/75]

सा०का०नि० 474(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 14-ए/66-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 फरवरी, 1966 को विखण्डित करती है।

[सं० 191/75]

G.S.R. 475(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts raw naphtha [falling

under Item No. 6 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)] from so much of duty of excise leviable thereon as is in excess of Rs. 25/- per kilolitre at 15°C. when intended for use in the manufacture of ammonia provided that—

(i) it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that such raw naphtha has been so used; and

(ii) where such use is elsewhere than in the factory of production, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944 is followed.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 29th day of February, 1976.

[No. 192/75]

N. RAJA, Under Secy.

सा०का० नि० 475 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कच्चे नैप्था को [जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 6 के अन्तर्गत आता है], जब वह अमोनिया के विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित हो, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से, जितना 15° सैंटीग्रेड पर 25 रु० प्रति किलो लीटर से अधिक हो, छूट देती है: परन्तु यह तब जब कि—

(i) सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसा कच्चा नैप्था इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है ; और

(ii) जहां ऐसा उपयोग उत्पादन के कारखाने से अन्यत्र किया जाता है, वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया अपनाई जाती है ।

2. यह अधिसूचना 1976 की फरवरी के 29वें दिन तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

[सं० 192/75]

एन० राजा, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975